राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5637/2004

पुंजी लाल पुत्र श्री हीरजी, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी गाँव बिछीवाड़ा पी. एस. घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. न्यायाधीश, आई. टी. सह श्रम न्यायालय, उदयपुर।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, बांसवाड़ा, राजस्थान।

3. प्रधान अध्यापक, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिछीवाड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान के माध्यम से।

4. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घाटोल, जिला बांसवाड़ा---प्रत्यर्थी।

याचिकाकर्ता (ओं) के लिएः- सुश्री तान्या मेहता।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिएः सुश्री भावना जांगिड़ (प्रत्यर्थी-2 और 3) (वीसी के माध्यम से)।

माननीय श्री जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

07/02/2024

1. श्रम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए 03.11.2001 दिनांकित निर्णय को कामगार द्वारा यहाँ चुनौती दी गई है। यह एक विचित्र मामला है जहां एक्स बनाम वाई का शब्द असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत केवल शपथ पत्रों के आधार पर न्यायिक समीक्षा के तहत है, बिना किसी पुष्टि करने वाली सामग्री के। श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष भी अपने दावे के समर्थन में कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। श्रम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का दावा था कि वह 1968 से 1996 तक 28 वर्षों की अवधि के लिए एक जलधारी (वाटरमैन) के रूप में कार्यरत थे। याचिकाकर्ता अपनी रोजगार स्थिति, मासिक पारिश्रमिक के तरीके, या 28 साल की सेवा के अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज या गवाह पेश करने में विफल रहा। इसी तरह, याचिकाकर्ता के अनुरोध के बावजूद, विभाग ने अपनी स्थिति को साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि विभाग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

2.इसके विपरीत, विभाग की ओर से, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने एक गवाह के रूप में एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता को विभाग द्वारा कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था, और इस प्रकार, कोई रोजगार रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जाना था।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों के संबंधित तर्क सुने हैं।

4. पूर्ववर्ती विवरण से जो स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय से नकारात्मक साबित करने के लिए उत्तरदाताओं पर बोझ डालने का आग्रह कर रहा है।

5. जबकि प्रत्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता को कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था, और इसलिए, पेश करने के

लिए कोई रिकॉर्ड नहीं हैं, याचिकाकर्ता का कहना है कि रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफलता को (2015) 12 एससीसी 754 के रूप में रिपोर्ट किया गया। गौरी शंकर बनाम राजस्थान राज्य में मामला कानून की मिसाल का हवाला देते हुए, विभाग के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष के रूप में माना जाना चाहिए।

6. जबकि इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है कि यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो न्यायालय एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है। हालाँकि, इस उदाहरण में, नियोक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था, इसलिए ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है। प्रारंभिक जिम्मेदारी कर्मचारी पर थी और केवल एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, इस प्रकार वर्तमान मामले में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि नियोक्ता रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहा है जहां कोई भी मौजूद नहीं है।

7. विशेष रूप से, यदि यह एक ऐसा मामला था जहां याचिकाकर्ता ने वास्तव में कर्मचारी-नियोक्ता के संबंध को साबित करने की अपनी प्रारंभिक जिम्मेदारी को निभाया था, तो स्थिति अलग होती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के लिए नियोक्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता था।

8. साक्ष्य के नाम पर एकमात्र सबूत जो याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वह एक स्व-सेवारत हलफनामा था जिसमें कहा गया था कि वह शुरू में 15/- रुपये प्रति माह के वेतन पर कार्यरत था, बिना किसी अन्य प्रकार के सबूत के।

9. इसके विपरीत, जिला शिक्षा अधिकारी रैंक के एक सक्षम अधिकारी ने भी एक हलफनामा दायर किया जो जिरह में अप्रमाणित रहा। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्वयं के हलफनामे में लिए गए

विपरीत रुख के आधार पर ही इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

10. इस अदालत की उपरोक्त टिप्पणियों का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सुनवाई के दौरान यह कहते हुए अपना रुख बदल दिया कि याचिकाकर्ता पंचायती राज विभाग में कार्यरत था, और इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी के हलफनामे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि उक्त रुख भी देर से लिया गया है। याचिका की विषय-वस्तु से भी यही पता चलता है। न तो इस बारे में कोई विशिष्ट कथन है और न ही पचायती राज को इस अदालत या श्रम अदालत के समक्ष पक्षकार बनाया गया था।

11. मेरी चर्चा के परिणाम के रूप में, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार याचिका खारिज कर दी जाती है।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।